मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कालोनी, भोपाल
(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक /सा./प्रनिबो/2017 भोपाल, दिनांक

//कार्यालय आदेश//

बोर्ड में कार्यरत स्थायी कर्मियों को नियमित सेवा के अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु (चयन प्रकिया) के संबंध में राज्य बोर्ड की 143 वीं बैठक दिनांक 13/01/2017 के निर्णय अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है:-

(1) श्री आर. एस. कोरी, डायरेक्टर पर्यावरण, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	अध्यक्ष
(2) श्री एच. के. शर्मा, डायरेक्टर पर्यावरण, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
(3) श्री आलोक कुमार जैन, अधीक्षण यंत्री, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बार्ड	सदस्य
(4) श्री एम. एल. पटेल, अधीक्षण यंत्री, (वित्त)म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बार्ड	सदस्य
(5) श्री सुधीर श्रीवास्तव, प्रशासकीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बार्ड	संयोजक

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

(सुधीर श्रीवास्तव)
प्रशासकीय अधिकारी
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक 995 /सा./प्रनिबो/2017 भोपाल, दिनांक 13 JUL 2017

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ ।
2. सर्व सबंधित अधिकारियों म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. गार्ड फाईल/आर्डर बुक/ आई टी शाखा ।

राज्य बोर्ड की 143 वी बैठक दिनांक 13/1/2017

(442)

भाग दो

ऐजेण्डा बिन्दु क्रमांक- 2.1

विषय :- म.प्र.शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी की श्रेणी दिये जाने हेतु बोर्ड के सेवा भर्ती विनियम में संशोधन बावत् ।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर 2016 को आदेश जारी कर दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के स्थान पर स्थायी कर्मी की श्रेणी दिये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं । आदेश की प्रति संलग्नक एक पर है ।

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वर्तमान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सूची संलग्नक दो पर है । उपरोक्त कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 7/10/2016 के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा लागू "स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना" अनुसार म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड "स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना" जो संलग्नक तीन पर है राज्य बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

राज्य बोर्ड द्वारा उपरोक्त योजना के अनुमोदन अनुसार बोर्ड में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उपरोक्त स्थायी कर्मियों के अनुसार वेतन एवं अन्य लाभ प्रदान किये जाने की अनुमति दी जाना प्रस्तावित है ।

म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर 2016 को जारी आदेश के बिन्दु 2 में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त नियमित पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति हेतु एक योजना बनाई गई है । जो परिशिष्ठ चार पर है ।

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती विनियम 1996 की अनुसूची 1 में प्रयोगशाला परिचारक, चपरासी/चौकीदार एवं स्वीपर के पद सीधी भर्ती से भरे जाने के प्रावधान हैं । उक्त पदों में से रिक्त पदों की पूर्ती म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत स्थायी कर्मियों से किये जाने हेतु म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती विनियम 1996 की अनुसूची 1 में निम्नानुसार संशोधित करते हुये प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

क्र	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान	भर्ती विधि (सीधी भर्ती/पदोन्नति से आदि प्रतिशत सहित)
1	प्रयोगशाला परिचारक	75	5200-20200 एवं 1800 ग्रेड-पे	100 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं बोर्ड में कार्यरत स्थायी कर्मियों का नियमितीकरण
4	चपरासी/चौकीदार	180	4440-7440 एवं 1300 ग्रेड पे	100 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं बोर्ड में कार्यरत स्थायी कर्मियों का नियमितीकरण
5	स्वीपर	-	4440-7440 [illegible] ग्रेड	100 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं बोर्ड में [illegible] स्थायी कर्मियों

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश दिनांक 7/10/16 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु जिला स्तरीय समिति के गठन का आदेश जारी किया गया है । म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल अधिनियम के अन्तर्गत गठित सांविधिक संस्था है तथा बोर्ड द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति व्यापम के माध्यम से एवं नियमितीकरण संबंधी कार्यवाही म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की समिति के माध्यम से की जाती है । तद्नुसार बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर स्थायी कर्मियों के नियमितीकरण हेतु म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की निम्नानुसार समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है :-

1	सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	अध्यक्ष
2	मुख्य अभियन्ता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्रनिबो	सदस्य
3	अधीक्षण यंत्री/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्रनिबो	सदस्य
4	प्रशासकीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोड	संयोजक

उक्त समिति सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 7/10/2016 के परिशिष्ट में उल्लेखित प्रावधान अनुसार कर्मचारियों की बोर्ड के सेवा भर्ती विनियम में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थायीकरण की अनुशंसा प्रस्तुत करेगी ।

तद्नुसार राज्य बोर्ड के समक्ष निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :

1 म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थायी कर्मियों को विनियमित करने हेतु नियम 2016 पर राज्य बोर्ड का अनुमोदन एवं स्थायी कर्मि हेतु अनुमति ।

2 बोर्ड में कार्यरत स्थायी कर्मियों को चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियमित करने हेतु समिति के गठन एवं नियमितीकरण की अनुमति ।

उक्त संशोधन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 13(3)(क) अनुसार राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन सहित राजपत्र में प्रकाशन उपरांत लागू होगा ।